

कार्यालय तहसीलदार (राजस्थान) कोटा

उपकरण धारा-22 उपनिवेश अधिनियम के अन्तर्गत

उपकरण क्रमांक - 19/2019

अवकाश - स्टेट बैंक ऑफ़ गुजरात सुरलाल सिंह पुत्र भैरव सिंह
पति - जयशंकर लाल - सिद्धपुरा

निर्णय दिनांक - 25-11-19

निर्णय

आज पत्रावली वास्तु में निर्णय हेतु पेश हुई पत्रावली का अवलोकन किया गया जिले में लेखों में इन प्रकार के हैं, मुताबिक रिपोर्ट पत्रकारी हल्का सिद्धपुरा के गैर लापस सुरलाल सिंह पुत्र भैरव सिंह पति जयशंकर लाल सिद्धपुरा के चक 23 AMR के प. नं. 110/157 घ. नं. 7 कि. नं. 13/253 ई. कुल 0.253 ई. नदरी भद्राजीराज ग्रामियर ग्वार फसल खरीफ सेक्ट 2076 में बाजायज काबत की है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर लापस को राजस्थान उपनिवेश अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत नोटिस जारी कर तलक किया गया गैर लापस को नोटिस की तारीख विधिक रूप में हो चुकी है। गैर लापस हाजिर नहीं आया और ई सबूत लाइय पेश नहीं किये गैर लापस के विक्रम एकांतरना कार्रवाई की जाती है।

राजस्थान उपनिवेश अधिनियम 1954 की धारा 22 में उक्त शर्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त घोषित किया जाकर भालगुजारी का 50 गुणा के हिसाब में ताकान 103/- रुपये अर्बे एक के तीन रूपये मात्र कायम किया जाकर जेडखल किया जाता है। फसल कुर्क कर गिलाफी करते हेतु प्र. अ. नि. निशानपुरा उत्तरादा को पूर्व में आदेश दिए जा चुके हैं। फर्द गिलाफी प्राप्त हो चुकी है, फसल फर्द गिलाफी अतुल्य अधिकांश गिलाफी आ. ज. प्रेस. सि. ई. की राशि 510/- रूपये अर्बे चार को दस रूपये रही है। गिलाफी स्वीकृत हो चुकी है। गिलाफी राशि व ताकान राशि की प्रोग. 7.11 के 'घ' रजिस्टर में दर्ज करवाया जाकर ताकान राशि, गिलाफी राशि वशुली एवं अतिरिक्त को जेडखली हेतु सिरका जाकर पत्रावली दिनांक 16-12-19 को पेश हो।